फा. सं. 12/63/2014-बीएडीपी (पार्ट-I)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग
*****

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: दिशानिर्देश (2020)

1. उद्देश्य:

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी और उनके अच्छे रहन-सहन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना तथा भागीदारी दृष्टिकोण विशेष रूप से छह विषयों से संबंधित क्षेत्रों-यथा-बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधनों, वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र विकास की योजनाओं/अन्य केन्द्रीय/राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश /स्थानीय योजनाओं के अभिसरण द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान तथा जीवित रहने के लिए स्थायी भरण-पोषण के अवसरों से इन क्षेत्रों को अंदरूनी हिस्सों से जोड़ने में मदद मिलेगी, देश के द्वारा की जाने वाली देखभाल की सकारात्मक अवधारणा बनेगी और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने हेतु प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, परिणामस्वरूप हमारी सीमाएं सुरक्षित एवं संरक्षित होंगी।

2. मूलभूत सिद्धांत:

निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे:

(क) सामरिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों/नगरों (जैसा सीमा रक्षक बलों द्वारा चिन्हित किया जाए) में अवसंरचना विकास करने वाली परियोजनाओं को अधिमानता दी जाएगी।

(ख) सीमा रक्षक बलों को समस्त स्तरों (आयोजना/निष्पादन/निगरानी) पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के भाग के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

(ग) सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांवों/नगरों का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तर की जांच समिति, संबंधित मंत्रालयों और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के साथ योजनाओं और अन्य उपलब्ध संसाधनों का अभिसरण सुनिश्चित करेगी।

(घ) गृह मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास, उन्नत कनेक्टिविटी, बेहतर सामाजिक सेवाओं को प्रोत्साहित करने और स्थायी जीविका के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय आदि के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करते हुए कार्य करेगा।

(ड.) निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश /केन्द्र सरकार के मौजूदा तंत्र के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारियों एवं सोशल ऑडिट मेकेनिज्म के माध्यम से नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

(च) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिशानिर्देशों और मानदंडों में, यदि आवश्यक हो, छूट प्रदान करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की चालू विकास संबंधी योजनाओं के माध्यम से संतृप्ति/कवरेज।

(छ) मध्यम अवधि की योजना- ऊपर उप-खण्ड (ग) में किए गए उल्लेख के अनुसार संसाधनों को एकत्रित करके चिन्हित की गई बस्तियों के विकास के लिए चार/पांच वर्ष की संभावित कार्य योजना तैयार की जाएगी। बाद के वर्षों के लिए वार्षिक योजना का खाका, समग्र संभावित योजना के दायरे में तैयार किया जाएगा और उसमें अग्रेषित किए गए उद्देश्यों तथा अब तक के अनुभवों से प्राप्त सीखों के आधार पर आवश्यक संशोधनों और अन्य विकास संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाएगा। वार्षिक योजनाएं उक्त की उप-श्रेणी योजनाएं होंगी। पहले वर्ष के लिए संभावित योजना के साथ-साथ वार्षिक योजना भी प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित राज्य, वर्ष 2023 तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संतृप्ति और अवसंरचना के सृजन की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे।

(ज) जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा: जिलों को परस्पर विकास संबंधी बदलावों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती दी जाएगी तथा उनके निष्पादन को देखते हुए पुरस्कृत किया जाएगा।

(झ) व्यापक विकास: सीमावर्ती जिलों के व्यापक विकास के लिए बीएडीपी के पास दो घटक होंगे- पहला लाभार्थियों की संतृप्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सीमावर्ती जिलों में अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित करना और दूसरे घटक में विकास के वांछित स्तरों को प्राप्त करने के लिए अभिसरण और कमियों को दूर करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीएस) होगी।

3. कवरेज:

3.1 बीएडीपी एक महत्वपूर्ण केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना **(**सीएसएस**)** है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में 16 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के 111 सीमावर्ती जिलों के 396 ब्लॉकों को सम्मिलित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल। पहले काफी हद तक इसने परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक 'स्टैंड-अलोन' वाहन के रूप में कार्य किया है; इसे अब एक कार्यक्रम में बदल दिया जाएगा, जिसमें व्यापक विकास का प्रयास शामिल है।

3.2 यह कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पहली बस्ती से 0-10 कि.मी. की दूरी (क्रो-फ्लाई/हवाई दूरी) के भीतर स्थित सभी जनगणना गांवों/कस्बों, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों को कवर करेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सभी पहली बस्तियों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, बीएडीपी के लिए शून्य रेखा होगी और देश के आंतरिक हिस्से की ओर 10 कि.मी. की दूरी की गणना इसी शून्य रेखा से की जाएगी। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार इस सीमावर्ती बेल्ट (0-10 कि.मी.) का – सभी जनगणना गांवों, अर्ध-शहरी/शहरी क्षेत्रों में नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों को दर्शाते हुए जिलेवार नवीनतम नक्शा संकलित करेगी और प्रदान करेगी। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकार बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (बीएडीपी ओएमएस) पर गांवों/कस्बों के मानचित्रण के लिए भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आवंटित किए गए गांवों/नगर/ के कोड (2011 की जनगणना) प्रस्तुत करेंगी।

3.3 0-10 कि.मी. क्षेत्र के भीतर, जनगणना गांवों, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में सीमा रक्षक बलों द्वारा सामरिक गांवों/कस्बों के रूप में चिन्हित किए गए क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

3.4 0-10 कि.मी. क्षेत्र को संतृप्त करने के पश्चात इस कार्यक्रम में 10-20/30/40/50 कि.मी. के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को लिया जा सकता है।

4. संचालन संबंधी दिशानिर्देश

4.1 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को निधियों का आवंटन:

आठ पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम) और 02 हिमालयी राज्यों (अर्थात हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) के लिए बीएडीएस का वित्तपोषण का पैटर्न (अन्य महत्वपूर्ण केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की तरह) 90:10 (केंद्र का हिस्सा : राज्य का हिस्सा) के अनुपात में और शेष बचे छह राज्यों (अर्थात गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) के बारे में यह अनुपात 60:40 (केंद्र का हिस्सा : राज्य का हिस्सा) का होगा। जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के वितत्पोषण का पैटर्न 90:10 (केंद्र का हिस्सा : केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा) के अनुपात में होगा तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश (विधान मंडल रहित केंद्रशासित प्रदेश) के लिए केंद्र का हिस्सा 100 प्रतिशत होगा।

4.2 किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों का आवंटन निम्नानुसार होगा:

(क) बीएडीएस के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का 10 प्रतिशत अंश आरक्षित रखा जाएगा (जिसे बीएडीएस आरक्षित निधि कहा जाएगा) तथा इसे बेहतर तरीके से निष्पादन कर रहे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

(ख) भारत-चीन सीमा से सटे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों (अर्थात अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम तथा उत्तराखंड) को भारत-चीन सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों में निर्माण कार्यों/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कुल आवंटित निधियों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से आवंटित किया जाएगा।

(ग) शेष 80 प्रतिशत निधि को 40:60 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा और 40 प्रतिशत निधि आठ पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित की जाएंगी तथा 60 प्रतिशत निधि शेष बचे आठ सीमावर्ती राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी। निधियों का आवंटन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा:

(i) अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई (33 प्रतिशत अधिमान);

(ii) 0 से 10 किमी. के दायरे में (एक सीमावर्ती ब्लॉक की सीमा में) स्थित जनगणना गांवों, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए सीमावर्ती बेल्ट का क्षेत्र (33% अधिमान);

(iii) अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किमी. के दायरे के अंदर स्थित जनगणना गांवों/अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों की आबादी (33% अधिमान);

(इन राज्यों का आवंटन, समग्र निधि आवंटन को देखते हुए प्रो-राटा आधार पर बढ़ाया/कम किया जाएगा)

4.3 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन निम्नानुसार योजना तैयार करेंगे:

(क) बीएडीएस पर निधियों का उपयोग, प्रथम वरीयता पर, सीमा पर 'जीरो' लाइन के समीप जनगणना गांवों/कस्बों में विकास संबंधी कार्यों/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया जाएगा।

(ख) सीमा रक्षक बल अपने-अपने क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से प्राथमिकता तय करेंगे और इसे राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के प्राधिकारियों तथा गृह मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे। सीमा रक्षक बलों द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार सामरिक महत्व के सीमावर्ती गांवों/कस्बों को सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जाएगा।

4.4 वित्तपोषण का पैटर्न, केंद्र द्वारा प्रायोजित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए लागू भारत सरकार के वर्तमान मानकों के अनुसार होगा।

4.5 बीएडीपी दिशानिर्देशों के प्रावधान का अनुपालन न किए जाने के कारण निर्मुक्त न की जा सकी निधियों पर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारें किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगी।

4.6 साधारणतया बीएडीएस निधियों का उपयोग मूलभूत सुविधाओं में ऐसी महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए किया जाएगा, जिन्हें किसी विकास संबंधी मंत्रालय की किसी नियमित स्कीम के तहत कवर न किया जा रहा हो। बीएडीएस के तहत आवर्ती व्यय उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

4.7 बीएडीपी से संबंधित अधिकार-प्राप्त समिति को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी योजना के किसी भी मानक को शिथिल करने की शक्ति प्राप्त होगी, ताकि अपेक्षित बुनियादी विकास/लाभ बीएडीपी के अंतर्गत कवर होने वाली सीमावर्ती आबादी तक पहुंचाया जा सके।

4.8 मूलभूत भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिए सीमावर्ती गांवों/कस्बों अनिवार्य रूप से एक बेसलाइन सर्वेक्षण तथा स्थानिक संसाधन मानचित्रण की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें बीएडीएस सहित भारत सरकार की विकास संबंधी योजनाओं के माध्यम से इन कमियों की भरपाई करेंगी।

4.9 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारें बीएडीपी के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के दायरे में एक नोडल विभाग/प्रकोष्ठ नामित करेंगी। बीएडीपी के कार्य को देखने वाले विभागाध्यक्ष, बीएडीपी के नोडल अधिकारी होंगे। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार, संबंधित विभाग का निदेशक/उप सचिव स्तर (अथवा समकक्ष स्तर) का एक सहायक नोडल अधिकारी भी नामित करेगी।

4.10 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश, व्यक्तिगत/पारिवारिक/सामुदायिक लाभ के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में, बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं सहित केंद्रीय/राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की तथा विशेष योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करेंगे। खराब योजना/अनुचित कारणों के चलते यदि कोई कार्य, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई तारीख के अंदर पूरा नहीं किया जा सकेगा, तो अनुमोदित कार्य (कार्यों) की धनराशि के बराबर की राशि राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार को भविष्य में जारी की जाने वाली निधियों से काट ली जाएगी।

4.11 बीएडीएस के अंतर्गत सृजित समस्त संपत्तियां संबंधित/राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार की संपत्ति होंगी। बीएडीएस के तहत कोई भी संपत्ति केवल सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर ही सृजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में, बीएडीएस के तहत संपत्तियां निर्मित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रय/उपहार विलेख के माध्यम से सामुदायिक/व्यक्तिगत भूमि अधिकार में ली जाएगी। तथापि, बीएडीएस के तहत भूमि क्रय करने के लिए किसी प्रकार की निधि उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।

4.12 राज्य /केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा भौतिक संपत्तियों की देख-रेख की जाएगी और उनकी मरम्मत करायी जाएगी। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र द्वारा एक वित्तीय वर्ष में आवंटित निधियों का अधिकतम 10

प्रतिशत अंश, बीएडीएस के तहत सृजित संपत्तियों के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बीएडीएस के तहत संपत्तियों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों में, निष्पादनकर्ता एजेंसी द्वारा कार्य/परियोजना के पूरा किए जाने की तिथि के बाद कम से कम तीन वर्षों तक रख-रखाव दायित्व, एक अंतनिर्हित घटक होना चाहिये।

4.1 बीएडीएस के तहत गैर-सरकारी संगठनों/निजी संस्थाओं को निधियां प्रदान नहीं करायी जानी चाहिए।

4.14 राज्य /केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा वर्तमान सामान्य वित्तीय नियमावली के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. <u>निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का चयन :</u>

5.1 संबंधित राज्य /केंद्रशासित प्रदेश/ जिला, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक पहली बस्ती से 0 से 10 किमी की बेल्ट में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित गांवों/ कस्बों/बस्तियों के विस्तृत विकास हेतु योजना तैयार करेगा। वे यथा अपेक्षित केन्द्र और राज्य /केंद्रशासित प्रदेश, दोनों सरकारों से, यदि आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित योजना के दिशानिर्देशों में सुधार करते हुए संसाधनों को अभिसरित करेंगे।

5.2 प्रस्तावों में, वार्षिक कार्य योजना के लिए वित्तपोषण के संसाधनों सहित संबंधित वर्ष के लिए एक विस्तृत वार्षिक कार्य योजना सम्मिलित की जाएगी।

5.3 कार्यों/परियोजनाओं की सूची, जिन्हें सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीएस) के अंतर्गत लिया जा सकता है, **<u>अनुलग्नक-I</u>** पर है। बीएडीएस के अंतर्गत कार्यों/परियोजनाओं का केंद्र-बिंदु समुदाय के लाभ पर होना चाहिए।

5.4 बीएडीपी दिशानिर्देशों के दायरे के अंदर, वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सीमा रक्षक बलों द्वारा संस्तुत सामरिक महत्व की परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करेंगे, जिन्हें उच्च सामरिक और सुरक्षा मान्यता के चलते तथा बेहतर एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु चिहिन्त किया गया है।

5.5 राज्य /केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा बीएडीपी के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अध्यक्षता में गठन किया जा सकता है। ।

5.6 गृह मंत्रालय द्वारा यथा-संसूचित अस्थायी आवंटन के आधार पर राज्य /केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें चार वर्ष की संभावित कार्य योजना के अनुसार बीएडीएस की वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगी तथा बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष, अधिकतम 15 जनवरी तक राज्य /केंद्रशासित प्रदेश स्तर की जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता राज्य /केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे, से विधिवत अनुमोदित कराकर, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगी। बीएडीपी का कार्य देखने वाला नोडल अधिकारी अथवा उससे वरिष्ठ कोई अधिकारी इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि बीएडीएस की वार्षिक कार्य योजना को तैयार करते समय स्थानीय सांसद, विधान सभा के सदस्य से परामर्श कर लिया गया है और यह कि बीएडीएस के तहत हाथ में लिए गए कार्यों/परियोजनाओं का किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य /केंद्रशासित प्रदेश की योजनाओं के साथ कोई दोहराव/आवृत्ति नहीं है। संबंधित राज्य /केंद्रशासित प्रदेश प्रस्तावित कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के सक्षम तकनीकी प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त करेंगे और वार्षिक कार्य योजना के साथ-साथ 'लागत का सार' प्रस्तुत करेंगे।

5.7 बीएडीएस के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार के पास शत प्रतिशत भूमि उपलब्ध होनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में भूमि अधिग्रहण के लिए बीएडीएस के अंतर्गत आवंटित निधियों का कोई हिस्सा उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, बीएडीएस के तहत विभिन्न परियोजनाओं की सिफारिश करते समय, यथा प्रयोज्य विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे, वन, पर्यावरण और अन्य स्थानीय मंजूरी आदि को पहले से ही संसाधित किया जाना चाहिए।

5.8 बीएडीएस के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/परियोजनाओं के अनुमानों की जांच की जानी चाहिए और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य/परियोजना की 'लागत का सार' उपयुक्त तकनीकी प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, वार्षिक कार्य योजना के साथ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.9 बीएडीएस के लिए वार्षिक कार्य योजना में कार्यों/परियोजनाओं को तभी अनुमोदित किया जाएगा जब परियोजनाएं/कार्य सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। कार्यों/परियोजनाओं को इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया जाएगा:

(i) प्रत्येक कार्य 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि का होना चाहिए (बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा);

(ii) जहां भी लागू हो, कम से कम 4 वर्षों के कार्यों को भौतिक और वित्तीय तरीके से चरणबद्ध किया गया हो ;

(iii) आवंटन हेतु पहली प्राथमिकता उत्तरोत्तर वार्षिक कार्य योजना में पहले से चल रहे कार्यों को मिलेगी;

(iv) राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले पिछले वित्तीय वर्षों के प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों को लिया जाएगा।

5.10 <u>मॉडल गांव</u>: मॉडल गांवों के निर्माण के प्रस्ताव बीएडीएस की वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

5.11 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश ऐसी निधियों को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) घटकों/निधियों, जिला खनिज कोष (डीएमएफ) और उपलब्ध किसी भी अन्य निधि को सम्मिलित करके बीएडीपी कार्यों के लिए निधि प्रवाह में वृद्धि कर सकते हैं।

6. अधिकार-प्राप्त समिति:

6.1 बीएडीपी के दिशानिर्देशों, भौगोलिक क्षेत्रों जिनके भीतर बीएडीपी लागू किया जाता है जैसे नीतिगत मामले, निधियों का आवंटन, कार्य/परियोजनाओं के निष्पादन के तौर-तरीके आदि, गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित बीएडीपी की एक अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। बीएडीपी की अधिकार-प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार है:

<u>संरचना:</u>

(i) सचिव (बीएम), सीमा प्रबंधन विभाग –अध्यक्ष
(ii) सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय –सदस्य

(iii) प्रधान सलाहकार, नीति आयोग-सदस्य
(iv) अपर/विशेष सचिव और वित्त सलाहकार (गृह), गृह मंत्रालय –सदस्य
(v) सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग-सदस्य
(vi) सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय-सदस्य
(vii) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय –सदस्य
(viii) सचिव (एसईएंडएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय –सदस्य
(ix) सचिव (डब्ल्यूआर,आरडी और जीआर), जल शक्ति मंत्रालय-सदस्य
(x) सचिव, एमएनआरई –सदस्य
(xi) सचिव, ऊर्जा मंत्रालय –सदस्य
(xii) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय –सदस्य
(xiii) सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय –सदस्य
(xiv) सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय-सदस्य
(xv) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-सदस्य
(xvi) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय-सदस्य
(xvii) बीएडीपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव –सदस्य
(xviii) महानिदेशक, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स-सदस्य
(xix) संयुक्त सचिव (के), गृह मंत्रालय-सदस्य
(xx) संयुक्त सचिव (एनई), गृह मंत्रालय-सदस्य
(xxi) अन्य मंत्रालयों के विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति) आवश्यकतानुसार- सदस्य
(xxii) संयुक्त सचिव (बीएम-।।), गृह मंत्रालय –सदस्य सचिव

6.2 इन दिशा-निर्देशों के दायरे के भीतर अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) बीएडीपी के दायरे से संबंधित नीतिगत मामलों, संबंधित राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेश में भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण, जिसके भीतर बीएडीपी को लागू किया जाएगा, कार्यान्वयन के तौर-तरीके, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेश को धन आवंटन के फार्मूले पर पहुंचने आदि के लिए उत्तरदायी होगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।

6.3 बीएडीपी संबंधी अधिकार-प्राप्त समिति को बीएडीपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी विकासात्मक मंत्रालय की किसी भी योजना के किसी भी मानक में छूट देने का अधिकार होगा।

6.4 बीएडीपी अधिकार-प्राप्त समिति /अध्यक्ष, बीएडीपी अधिकार-प्राप्त समिति, अंतर-मंत्रालयी मुद्दों को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीबीआई) के समक्ष रखने की सिफारिश कर सकते हैं।

6.5 अधिकार-प्राप्त समिति, बीएडीएस के अंतर्गत निष्पादन आधारित आरक्षित निधियों/बचत (यदि कोई हो) का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन देकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत करने का निर्णय ले सकती है।

6.6 अधिकार-प्राप्त समिति सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत सरकार की सभी व्यक्तिगत/परिवार/सामुदायिक लाभ योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

6.7 बीएडीपी संबंधी अधिकार-प्राप्त समिति के अध्यक्ष को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के साथ बीएडीपी दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान में छूट देने का अधिकार होगा।

7. राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी/ यूटीएलएससी):

7.1 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रतिनिधित्व के साथ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) पर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग जांच समिति (एसएलएससी/ यूटीएलएससी) होगी, तथापि संबंधित बीजीएफ से प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। यह समिति इन दिशानिर्देशों के अनुरूप पंचवर्षीय दृष्टिकोण और वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन के साथ-साथ बीएडीपी की प्रगति की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। समिति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बीएडीपी कवरेज क्षेत्र में जनशक्ति (डॉक्टर/शिक्षक आदि) की उपलब्धता सहित नीति और अन्य अड़चनों पर ध्यान देगी।

7.2 एक वित्तीय वर्ष के दौरान बीएडीएस के तहत राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश को आवंटित की गई राशि में से 2.5% तक की राशि आरक्षित रखी जाएगी तथा उसे बीएडीपी/प्रशासनिक व्यय के तहत कार्य करने के लिए मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी/यूटीएलएससी) के अधीन रखा जाएगा। मुख्य सचिव/अध्यक्ष, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी/यूटीएलएससी) के अधीन आरक्षित राशि में से ही 1% (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के कुल वार्षिक आवंटन का) तक की राशि प्रशासनिक व्यय के लिए आरक्षित रखी जा सकती है जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए होगी।

7.3 अधिकार-प्राप्त समिति/अध्यक्ष, अधिकार-प्राप्त समिति अर्थात सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बिना राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पहले से अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8. निधि प्रवाह:

8.1 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को निधियां व्यय की पुष्टि तथा कार्यों/परियोजनाओं की अनुमोदित सूची प्राप्त होने के आधार पर जारी की जाएंगी। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश को पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जारी निधियों के लिए 100% उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कराना अपेक्षित होगा। अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को 31 मार्च, 2019 तक जारी निधियों के संबंध में 100% उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कराना अपेक्षित होगा। लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र के समकक्ष राशि को जारी की जा रही निधियों में से काट लिया जाएगा। काटी गई राशि वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक संगत उपयोगित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाएगी। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर के बाद शेष राशि पर कोई दावा नहीं होगा और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा संगत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण बची राशि को बीएडीएस के तहत 'बचत' के रूप में माना जाएगा और इस राशि को निधि के निर्गम के लिए सभी शर्तों को पूरा करने वाले अन्य राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को जारी कर दिया जाएगा।

8.2 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा बीएडीपी के लिए एक पृथक बजट शीर्ष और बैंक खाता खोला जायेगा। भारत सरकार से निधियों के प्राप्त होने पर, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा इसे तत्काल कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी कर दिया जाना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी स्तर पर निधियों को रोके रखना सख्त मना है और सामान्य वित्तीय नियमावली के मौजूदा मानकों का अनुपालन राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9. निगरानी और समीक्षा:

9.1 सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरे किए गए कार्यों की वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा, सीमावर्ती जिले की ग्राम सभा अथवा इसी तरह के स्थानीय निकायों/संबंधित बीजीएफ के प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी को भी उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में वतर्मान स्थिति बताने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

9.2 सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास से संबंधित कार्यों पर स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करने के लिए विभिन्न जिलों में प्रभारी अधिकारी नामित किए जाएंगे। उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

9.3 बीएडीपी के तहत, कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश जांच समिति जिम्मेदार होगी और इस कार्य के लिये वह अपने प्रशासनिक कर्मचारियों/ लाइन विभागों और उनके अधीन अन्य एजेंसियों का उपयोग करेगी।

9.4 तिमाही प्रगति आख्या (क्यूपीआर) बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से तिमाही समाप्त होने के बाद 15वें दिन तक सीमा प्रबंधन विभाग को कार्य/परियोजना-वार भेजी जानी चाहिए। वर्ष-वार समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक माह के भीतर सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के निर्धारित प्रोफॉर्मा (जीएफआर-12सी), जैसा कि **अनुलग्नक-II** में दिया गया है, में भेजे जाने चाहिए। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निम्नानुसार तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(क) 31 मार्च को समाप्त तिमाही	-15 अप्रैल तक
(ख) 30 जून को समाप्त तिमाही	-15 जुलाई तक
(ग) 30 सितम्बर को समाप्त तिमाही	-15 अक्तूबर तक
(घ) 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही	-15 जनवरी तक

9.5 सीमा जनगणना गांव/बस्ती में बीएडीएस के तहत सृजित परिसंपत्तियों की सूची विश्लेषणात्मक उद्देश्यों आदि के लिए राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा तैयार की जाएगी। सभी परियोजनाओं की जियो-मैपिंग होगी और इन्हें बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा। गत दस वर्षों के दौरान बीएडीपी के तहत निष्पादित सभी परियोजनाओं की जियो-मैपिंग होनी चाहिए और इन्हें भुवन प्लेटफार्म पर विशेष थिमेटिक लेयर पर अपलोड किया जाना चाहिए।

9.6 प्रत्येक बीएडीएस परियोजना स्थल पर एक प्रदर्शन (डिस्पले) बोर्ड रखा जायेगा जिसमें भारत सरकार के बीएडीएस के अंतर्गत पूरे किए जा रहे/पूरे कर लिए गए (वास्तविक और वित्तीय कार्यक्षेत्र सहित परियोजना के ब्यौरे देते हुए) कार्यों को इंगित किया गया हो।

9.7 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बीएडीएस के अंतर्गत मंजूर की गई निधियों का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जाए जिनके लिए उनकी मंजूरी दी गई है। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार बीएडीएस के अंतर्गत शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित मदों /कार्यों/परियोजनाओं की दरों/लागतों उपयुक्तता को भी सुनिश्चित करेगी। यदि बाद में कोई विसंगति देखी जाती है तो मदों/कार्यों/ परियोजनाओं के लिए अनुमोदित राशि के समतुल्य राशि, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार की लम्बित/भविष्य में जारी की जाने वाली राशि में से काट ली जाएगी और समायोजित की जाएगी।

9.8 बीजीएफ की भूमिका

(i) क्षेत्र में तैनात बीजीएफ अधिकारी उनके जिले/ब्लॉक में किए जा रहे बीएडीएस कार्यों की प्रगति के बारे में स्वतंत्र फीडबैक प्रदान करेंगे।

(ii) क्षेत्र में तैनात बीजीएफ अधिकारी को बीएडीएस कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने का कार्य भी सौंपा जा सकता है।

10. बीएडीपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों की लेखा परीक्षा

10.1 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को बीएडीएस के अंतर्गत किए गए कार्यों की नियमित लेखा परीक्षा सी एंड ए जी द्वारा वार्षिक रूप से करानी होगी और सी एंड ए जी लेखा परीक्षा पूरी होने के पश्चात बीएडीएस के तहत व्यय के संबंध में सी एंड ए जी द्वारा की गई टिप्पणियां गृह मंत्रालय को भेजी जाएंगी। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारें बीएडीएस के अंतर्गत प्राप्त निधियों का महालेखाकार द्वारा वार्षिक तौर पर लेखा परीक्षण करायेंगी और लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र एवं राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार की अनुपालन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगी। बीएडीएस के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों/परियोजनाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्यकारी सारांश प्रस्तुत करने संबंधी प्रोफॉर्मा **अनुलग्नक- III** में दिया गया है।

10.2 बीएडीएस लेखाओं की सैंपल जांच**:** गृह मंत्रालय, राज्य /केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अनुरक्षित बीएडीपी लेखाओं की सैंपल जांच करा सकता है, जिससे कि बीएडीएस को निधियां जारी करने से संबंधित किन्हीं समस्याओं का समाधान किया जा सके जिसमें आवश्यकतानुसार लेखाओं का समायोजन और बीएडीएस की निधियों के उपयोग की समीक्षा भी शामिल है।

10.3 वर्तमान सामान्य वित्तीय नियमावली दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी स्तर पर जमा बीएडीएस निधियों पर अर्जित ब्याज को बीएडीएस के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन माना जाएगा और इसका उपयोग बीएडीपी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता जनगणना ग्रामों में कार्यों/परियोजनाओं हेतु किया जाएगा। इस संबंध में**,** राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश द्वारा गृह मंत्रालय को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार के सहायता अनुदान से मिला सारा ब्याज और अन्य आय या अग्रिम को, खातों को अंतिम रुप दिये जाने के बाद तत्काल राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर अनुरक्षित विशिष्ट बीएडीएस खाते में जमा किया गया है।

10.4 ये दिशानिर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

*****

अनुलग्नक-I

सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुमत कार्यों/परियोजनाओं की निदर्शी सूची

(क) सड़कें और पुल

(i) सड़कों का निर्माण और उन्नयन।
(ii) पुलों और पुलियों का निर्माण।
(iii) फुट सस्पेंशन पुलों का निर्माण।
(iv) पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग दीवारों का निर्माण।

(ख) स्वास्थ्य अवसंरचना

(i) सीमावर्ती जनगणना गांवों/बस्तियों में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे सरकारी चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
(ii) आधारभूत अवसंरचना (एसएचसी/पीएचसी/सीएचसी) का निर्माण और उन्नयन।
(iii) सरकारी मोबाइल डिस्पेंसरियोंकी स्थापना/ एंबुलेंस की खरीद।
(iv) सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद।

(ग) शिक्षा अवसंरचना

(i) शिक्षा क्षेत्र में लगे सरकारी शिक्षकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
(ii) प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण और उनके उन्नयन/विस्तार जैसे अतिरिक्त कक्षाओं, कंप्यूटर कक्षों और प्रयोगशालाओं का निर्माण।
(iii) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रावासों/शयनागारों का निर्माण।

(घ) कृषि अवसंरचना

(i) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
(ii) जल संरक्षण कार्यक्रम।

(ड.) खेल अवसंरचना

(i) खेल मैदानों का निर्माण/विकास।
(ii) मिनी स्टेडियम का निर्माण।
(iii) टेबल टेनिस/बैडमिंटन/बास्केटबॉल/हैंडबॉल के लिए इंडोर कोर्ट का निर्माण।

(च) डीडब्ल्यूएस परियोजनाएं

(i) सरकारी स्कूलों/जनगणना गांवों/जनगणना कस्बों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं।

(छ) सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचा

(i) आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण।
(ii) सामुदायिक केंद्र का निर्माण।

(ज) मॉडल गांवों का विकास

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार, हब और स्पोक मॉडल के आधार पर गांव में कई अवसंरचना विकास कार्य/परियोजनाएं शुरू कर सकती है।

(झ) लघु स्तरीय उद्योगों के लिए अवसंरचना का निर्माण।

(ञ) बीएडीएस के तहत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(ट) प्रशासनिक व्यय

बीएडीएस के अंतर्गत प्रस्तावित प्रत्येक कार्य/परियोजना के प्राक्कलनों की जांच की जानी चाहिए तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य/परियोजना के लिए उपयुक्त तकनीकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 'लागत का सार' वार्षिक कार्य योजना के साथ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

*****

अनुलग्नक-II

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करने का प्रारूप

जीएफआर 12 – ग (जीएफआर 2017 का नियम 239 देखें)

उपयोग प्रमाणपत्र का फार्म (राज्य सरकारों के लिए)

(जहां केवल सरकारी निकायों द्वारा व्यय किया गया है)

क्र.सं.	पत्र संख्या और तारीख	राशि	
	(निधि की संस्वीकृति की तारीख के साथ भारत सरकार के संस्वीकृति पत्र की संख्या बताएं)	(राशि और संस्वीकृति का वर्ष बताएं)	प्रमाणित किया जाता है कि मार्जिन में दिये गए मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या के तहत ..... के पक्ष में वर्ष ..... के दौरान संस्वीकृत अनुदान के ..... रुपए और पिछले वर्ष के अधिशेष के ..... रुपए, में से ..... रुपए का उपयोग संस्वीकृति के उद्देश्य के लिए किया गया है और यह कि वर्ष के अंत में ..... रुपए का अधिशेष सरकार को (सं. ..... दिनांक ..... के तहत) अभ्यर्पित कर दिया गया है/अगले वर्ष ..... के दौरान देय अनुदान में समायोजित किया जाएगा।
	कुल		

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि सहायता अनुदान की संस्वीकृति की शर्तें विधिवत पूरी की गयी हैं/पूरी की जा रही हैं और यह जाँचने के लिए कि राशि का उपयोग वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित जांच की गई हैं:

की गई जाँच के प्रकार

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
तारीख .....

*****

अनुलग्नक-III

बीएडीएस कार्यों/परियोजनाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा के कार्यकारी सारांश को प्रस्तुत करने के लिए नमूना

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम :_____

लेखा परीक्षा करने वाले का ब्यौरा : _____

लेखा परीक्षा अधिकारी (अधिकारियों) का (के) नाम : _____

लेखा परीक्षा की अवधि (वित्त वर्ष) : _____

लेखा परीक्षा की तारीख	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	लेखा परीक्षा पार्टी की टिप्पणियां	लेखा परीक्षा पार्टी द्वारा सुधार हेतु सुझाव	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार की अनुपालन रिपोर्ट/प्रत्युत्तर	टिप्पणी (यदि कोई है)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में बीएडीपी से संबंधित
सचिव/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नोट: राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बीएडीएस कार्यों/परियोजनाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्यकारी सारांश प्रत्येक वर्ष में एक बार (पिछले वर्ष के लिए) 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

*****